पाठ 26

बाल अधिकार एवं मानव अधिकार

आइए सीखें

- बाल अधिकार एवं मानव अधिकारों का जन्म कैसे हुआ?
- बाल अधिकार कौन-कौन से हैं?
- मानव अधिकार कौन-कौन से हैं?

खण्ड अ

बाल अधिकार

लता का ध्यान एक छोटे-से समाचार पर टिक गया। बार-बार समाचार पढ़ने के बाद अखबार लेकर वह माँ के पास गई।

"माँ! यह समाचार तो पढ़ो।" लता ने माँ से कहा। माँ रसोई के कार्यों में लगी थी। रोटी बेलते हुए उसने कहा- "लता स्कूल जाने का समय हो गया है, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन परोसती हूँ।"

लता ने झटपट भोजन किया। माँ के हाथ का बनाया भोजन उसे बहुत अच्छा लगता था। स्कूल जाते समय वह अखबार अपने साथ लेती गई।

उसने अपनी सहेलियों को वह समाचार पढ़कर सुनाया। आज पहला पीरियड नागरिक शास्त्र का था। सभी छात्राएँ उस समाचार के बारे में शिक्षिका (दीदी) से जानने को उत्सुक थीं।

शिक्षिका (दीदी) ने जैसे ही कक्षा में प्रवेश किया सभी छात्राएँ खड़ी हो गईं, उन्होंने सभी को बैठ जाने का संकेत किया। लता अखबार लेकर खड़ी हुई और कहा, "दीदी, आज यह समाचार अखबार में छपा है, इसे हमें समझा दें। कक्षा की सभी छात्राएँ इसके बारे में जानना चाहती हैं।" दीदी समझ गईं। अतः उन्होंने लता से वह समाचार पढ़ने को कहा।

"संयुक्त परिवारों में पुत्रियों को अचल सम्पत्ति में बराबर का अधिकार दिलाने वाले हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधित) विधेयक 2005 को, सोमवार, दिनांक 29 अगस्त 2005 को संसद की मंजूरी मिल गई।"

शिक्षण संकेत

- वार्तालाप में विभिन्न छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों को अलग-अलग कार्डों पर शिक्षक लिख लें तथा ये कार्ड बाँटकर उनसे प्रश्न करने हेतु प्रेरित करें। यह और भी अच्छा होगा कि बच्चों को यह पाठ पूर्व से पढ़कर आने को कहें। तत्पश्चात् बच्चों की जिज्ञासा के अनुरूप पाठ के भाव को समझाएँ।

दीदी ने समझाया कि संयुक्त हिन्दू परिवारों की अचल संपत्ति माता-पिता सामान्यतः पुत्र/पुत्रों को ही देते थे तथा पुत्र ही उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति प्राप्त करने के अधिकारी होते थे, परन्तु अब संसद की मंजूरी मिल जाने तथा राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाने से पुत्रों के समान ही पुत्रियों का भी अचल संपत्ति पर समान अधिकार हो गया है।

दीपा ने खड़े होकर कहा, ''दीदी ये अधिकार क्या होते हैं?''

निधि भी खड़ी हो गई उसने पूछा, ''दीदी, क्या हम बच्चों के भी कुछ अधिकार हैं?''

दीदी ने कहा, ''हाँ, तुम्हारे साथ ही दुनिया भर के सभी बच्चों के लिए एक 'विश्व संस्था' सक्रिय रही है।''

''यह विश्व संस्था क्या है?'' रश्मि ने पूछा।

''इस विश्व संस्था का नाम है - 'संयुक्त राष्ट्र', दीदी ने कहा। वे बताने लगीं, ''पिछले सौ वर्षों में विश्व के अनेक देशों के बीच छोटी-छोटी अनेक लड़ाईयाँ लड़ी गईं। सबसे घातक दो विश्व युद्ध हुए। इनमें लाखों लोगों के प्राण गए। सबसे बड़ी दुःखद बात यह थी कि लाखों बच्चे अनाथ हो गए। इन युद्धों के समय विश्व में अमानवीयता-सी छा गई थी।'' यह कहकर दीदी कुछ क्षणों के लिए मौन-सी हो गईं।

उन्होंने आगे बताया, ''द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक छः वर्षों तक चला। युद्ध समाप्त हुआ तो शांति के प्रयास शुरु हुए। देश फिर से अमानवीय न हो जाएँ ऐसे प्रयास किए जाने लगे। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इस विश्व संस्था को मानवीय गरिमा के लिये बहुत कुछ करना था। विश्व के देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने चर्चा की। 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने मिलकर 'मानव अधिकारों' की घोषणा की।''

लता ने कहा, ''दीदी, आप हमें 'बाल अधिकारों' के विषय में बताइए।''

दीदी ने कहा, ''बाल अधिकार अर्थात् बच्चों के अधिकार की बात ऐसी नींव है, जिससे मानव जाति का भविष्य जुड़ा है, तुम्हीं तो कल अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, व्यवसायी, मैकेनिक, किसान, अधिकारी, शिक्षक, राजनेता, समाजसेवी आदि बनोगे।

संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवम्बर 1989 को बाल अधिकारों का अधिनियम पारित किया। 2 सितम्बर 1990 को विश्व के 151 देशों के प्रतिनिधियों ने बच्चों के विशेष अधिकारों को स्वीकृति दी। भारत भी उनमें से एक था। ये अधिकार बच्चों के सर्वांगीण विकास की पहली सीढ़ी है।''

दीदी ने समझाया, ''ये अधिकार जन्म सिद्ध अधिकार हैं। जन्म होते ही विश्व के प्रत्येक बच्चे को ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।''

शकीला ने पूछा, ''दीदी ये अधिकार किस आयु में प्राप्त होते हैं?''

दीदी ने कहा, ''तुम्हारा प्रश्न सराहनीय है, हमेशा कक्षा में प्रश्न करने की आदत डालो। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है।'' दीदी ने आगे कहा, ''जैसे मैंने तुम्हे बताया कि बाल अधिकार प्रत्येक बच्चे को उसके जन्म से ही बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो जाते हैं। 18 वर्ष की आयु तक के विश्व के सभी बच्चे इन अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। ये अधिकार हैं—

- जीवन जीने का अधिकार।
- शिक्षा का अधिकार।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना और संगठन बनाने का अधिकार।
- शोषण से सुरक्षा का अधिकार।

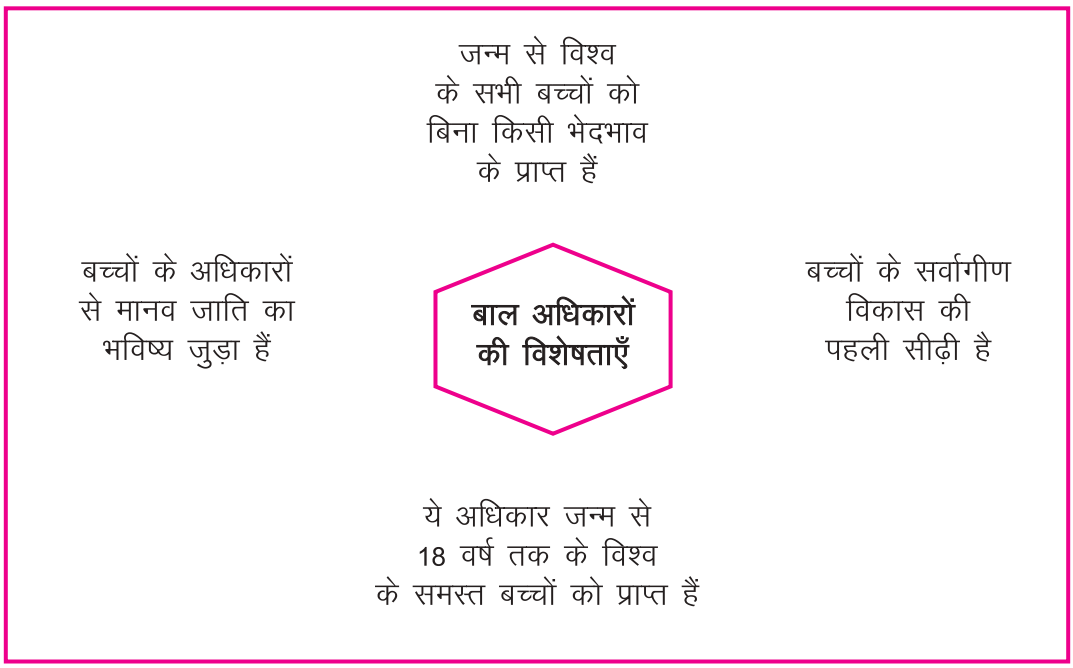

दीपा, ''दीदी, क्या किसी दिन बाल दिवस मनाते हैं।'' दीदी, ''हाँ, 14 नवम्बर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं।'' सभी छात्राएँ इन बाल अधिकारों के विषय में और भी जानना चाहती थीं, तभी पीरिएड समाप्त होने की घंटी बजी। दीदी ने कक्षा से बाहर निकलते हुए कहा, ''हम नागरिक शास्त्र के अगले पीरियड में बाल अधिकार और मानव अधिकार विषय को आगे बढ़ाएँगें। मैं आज पुस्तकालय के पीरियड में बाल अधिकारों का विस्तृत चार्ट लगा दूँगी, आप लोग उसे पढ़ना और अपनी कॉपी में लिख लेना।''

शिक्षण संकेत

- उपरोक्त चार्ट कक्षा में दीवाल पर प्रदर्शित करें तथा चार्ट की सहायता से अधिकार व विशेषताएँ समझाएँ।

बाल अधिकार

- जीवन जीने का अधिकार–
  - जीवित रहना बच्चों का बुनियादी अधिकार।
  - बच्चे को विकास के पूरे अवसर देना राज्य का कर्त्तव्य।
  - बच्चे को अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार, परिवारविहीन बच्चों को संरक्षण।
  - बच्चों का पालन-पोषण सही हो, यह परिवार का दायित्व, राज्य, माता-पिता को सहायता देगा।
  - स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छ जल, सुरक्षित आश्रय।
  - पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएँ।
  - जीवन के लिए अन्य खतरों से सुरक्षा का अधिकार।
  - शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु राज्य विशेष ध्यान देगा।
- शिक्षा का अधिकार–
  - शिक्षा एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु उचित सुविधाएँ एवं साधन पाने का अधिकार।
  - सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार।
  - शिक्षा एवं विकास में आने वाली बाधाओं से संरक्षण।
  - बच्चों को अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति से दूर न करना।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना और संगठन बनाने का अधिकार–
  - अपनी आत्मा की आवाज को व्यक्त करने और धर्म की स्वतंत्रता।
  - बच्चों को बिना भेदभाव के मनुष्य को मिलने वाले समस्त अधिकार प्राप्त।
  - समाज में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार।
  - बच्चों की क्षमताओं, अभिरुचियों को विकसित करने हेतु राज्य द्वारा परिवार का मार्गदर्शन।
  - अपनी आयु के अनुसार कानूनी सीमा में अपना संगठन बनाने का अधिकार।
- शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार–
  - बच्चों को सामाजिक सुरक्षा।
  - बच्चों को न करने योग्य कार्यों को करने के लिए मजबूर न करना।
  - बच्चों के साथ दुर्व्यवहार से सुरक्षा।
  - शोषण और क्रूरता से बच्चों को परिवार से अलग कर देने के विरुद्ध सुरक्षा।
  - सशस्त्र संघर्षों में बच्चों को शामिल करने पर रोक।
  - गैर कानूनी धंधों में बच्चों को लगाने के विरुद्ध रोक।
  - बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया राज्य की देखभाल में।
  - बच्चों को मादक द्रव्यों के उपयोग तथा सभी प्रकार के शोषण और उनके विक्रय, व्यापार से बचाना राज्य का दायित्व।

गतिविधि-

बताइए इनमें से कौन-सी बातें बाल अधिकार से संबंधित हैं व कौन- सी उनका उल्लंघन है–

- **रिक्शा चलाने वाले दीनू के पुत्र का स्कूल में प्रवेश लेना।**
- **आँखों से कमजोर कक्षा में पढ़ रही छात्रा रेखा की आँखों का इलाज करने से डॉक्टर द्वारा आनाकानी करना।**
- **कक्षा-5 में पढ़ने वाली छात्रा कमला को उसके चाचा द्वारा स्कूल जाने से रोकना।**
- **12 वर्ष के एक बच्चे से व्यापारी द्वारा भारी बोझ ढुलवाना।**
- **प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना।**
- **स्कूल जा रहे एक बच्चे को किसी व्यक्ति द्वारा पीटे जाने के विरुद्ध पुलिस थाने में शिकायत करना।**
- **रमेश का गाँधी जयंती पर भाषण देना।**
- **स्कूल में पीने के लिए स्वच्छ पानी की माँग।**
- **बच्चों द्वारा प्रस्तुत लोकनृत्य का कार्यक्रम करने से सरपंच द्वारा मना करना।**

अभ्यास प्रश्न

1. कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

(निधि, समानता, अधिकार, व्यवसाय, सर्वांगीण, जन्मसिद्ध, संस्कृति, स्वास्थ्यवर्धक)

(1) जीवन जीने का अधिकार हमारा ..... अधिकार है।

(2) विश्व के समस्त बच्चों को .....भोजन मिलना चाहिए।

(3) सभी मानवों को अपनी भाषा, लिपि और ..... के संरक्षण का अधिकार है।

(4) मानव, समाज की ..... है।

(5) अपनी योग्यता के अनुसार कानूनी दायरे में हमें कोई भी ..... चुनने का अधिकार है।

(6) बच्चों को अपने ..... विकास के लिए उचित सुविधा और साधन प्राप्त करने का अधिकार है।

(7) सभी नागरिकों को अवसरों की ..... का अधिकार है।

शिक्षण संकेत

- बाल अधिकारों के विस्तृत चार्ट को पुस्तकालय/कक्षा में बड़े आकार में बनाकर लगाएँ।

2. लघु उत्तरीय प्रश्न–

(1) समाचार-पत्र में क्या छपा था?

(2) लता ने वह समाचार किसे पढ़कर सुनाया?

(3) छात्राएँ कक्षा में दीदी से क्या-क्या जानना चाहती थीं।

3. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

(1) प्रमुख बाल अधिकारों का वर्णन कीजिए।

परियोजना कार्य–

■ आपके क्षेत्र में बच्चों से संबंधित कोई समस्या हो तो उस पर समूह में चर्चा कर निदान हेतु आलेख तैयार करावें।

खण्ड ब

मानव अधिकार

अगले दिन अहमद सर नागरिक शास्त्र का पीरियड लेने आए। उन्होंने प्रमिला दीदी की शिक्षक डायरी देख ली थी तथा यह समझ गए थे कि किस विषय पर चर्चा करनी है।

अहमद सर ने कहा, प्रमिला दीदी ने आपको बाल अधिकारों के विषय में बताया ही है। हम सभी को एक-दूसरे को प्राप्त अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। उनकी रक्षा के लिए साथ-साथ मिलकर कार्य करना है। इसी से एक शिक्षित, स्वस्थ व विकसित समाज बनेगा। मानव अधिकार हमारे उच्च सामाजिक जीवन को संभव बनाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र जाति, लिंग, भाषा या धर्म का भेदभाव किये बिना समस्त लोगों के लिए मानव अधिकारों तथा आधारभूत स्वतंत्रताओं के विश्वव्यापी सम्मान तथा उनके पालन को बढ़ावा देता है।

फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद् ने अपने प्रथम अधिवेशन में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने लम्बे विचार-विमर्श के बाद 1948 में मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के ड्राफ्ट (प्रलेख) को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपनी स्वीकृति दी।

नीरजा ने पूछा, ''सर, यह मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा क्या थी?''

नीरजा के प्रश्न की प्रशंसा करते हुए अहमद सर ने सभी को सम्बोधित करते हुए कहा, ''मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, इनमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का भी उल्लेख है।

अहमद सर ने मानव अधिकारों की सूची का चार्ट कक्षा में छात्राओं के समक्ष प्रदर्शित किया–

मानव अधिकारों की सूची

- जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार।
- कानून के समक्ष समानता का अधिकार।
- सम्पत्ति का अधिकार।
- देश के शासन में भाग लेने तथा सरकारी सेवाओं में चयन हेतु समानता का अधिकार।
- अपराध प्रमाणित न होने तक निर्दोष समझे जाने का अधिकार।
- बिना किसी जाँच के बंदी बनाए जाने, नजरबंद करने, देश से निकालने से स्वतंत्रता का अधिकार।
- एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा सुनवाई का अधिकार।
- मत व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
- शांतिपूर्वक सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता का अधिकार।
- दासता, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
- उत्पीड़न अथवा क्रूर, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड से स्वतंत्रता का अधिकार।

मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों का भी उल्लेख है, ये अधिकार हैं—

- उचित व अनुकूल व्यवस्थाओं के अन्तर्गत काम करने का अधिकार।
- समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार।
- अवकाश व विश्राम का अधिकार।
- शिक्षा का अधिकार व समाज के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार।

अहमद सर ने आगे बताया कि, ''मानवीय अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा सिद्धांतों का एक विवरण है। वे कानूनी रूप से बंधनकारी नहीं है। ये दायित्वों का विवरण है। फिर भी ये अधिकार विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रलेख (दस्तावेज) माना गया है।''

शकीला का प्रश्न था, ''ये मानव अधिकार समाज के लिए कितने उपयोगी हैं?''

अहमद सर ने कहा, ''मानव अधिकार समाज के स्वरूप का एक बुनियादी अंग है। विश्वबंधुत्व की भावना को दृढ़ व स्थायी बनाने के लिए इन अधिकारों का सहारा लिया जाने

शिक्षण संकेत

- 'मानव अधिकारों की सूची' कक्षा में चार्ट बनाकर टाँगें।
- मानव अधिकारों से संबंधित कुछ प्रश्नों के कार्ड बनाकर, बच्चों को बाँटकर प्रश्नोत्तर कराएँ।

लगा है।

मानव अधिकारों की घोषणा से स्वाधीनता और सम्मान को बल मिला है। राष्ट्रों के बीच सुरक्षा की भावना बढ़ी है।

मानव अधिकारों की मान्यता से विश्वशांति की सम्भावना बढ़ती जा रही है, और शांति से ही मानव अधिकारों का विकास हो सकता है। मानव अधिकारों की वचनबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1968 को मानव अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया।''

रचना ने प्रश्न किया, ''सर, मानव अधिकारों की रक्षा करना किसका दायित्व है?''

''मानव अधिकारों की मान्यताओं का सम्मान एवं इस भावना को प्रोत्साहन का कार्य संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद् करती है। इन अधिकारों का क्रियान्वयन तथा उनकी रक्षा समस्त राष्ट्रों का दायित्व है।'' अहमद सर ने समझाया।

अब सारिका ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, ''सर, यदि सरकार मानव अधिकारों की रक्षा न करे तो उस पर निगरानी कौन करेगा?''

अहमद सर ने बताया, ''संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने अपने-अपने देश में मानव अधिकार आयोगों का गठन किया है। अक्टूबर 1993 में भारत सरकार ने भी 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग' गठित किया है।

मध्यप्रदेश में भी सितम्बर 1995 को मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग गठित किया गया है। यदि कहीं कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मानव अधिकार आयोग सरकार को अपने दायित्वों का पालन करने हेतु निर्देशित करता है। शासकीय दबावों और ज्यादतियों के खिलाफ कई बार मानव अधिकार आयोग ने हस्तक्षेप किया है, ऐसे समाचार पढ़े होंगें।''

अहमद सर ने पूछा, ''किसी को कोई प्रश्न करना है?'' इस पर दीपिका ने पूछा, ''आजकल समाचार-पत्रों में आतंकवाद की चर्चा भी चलती रहती है, आतंकवादी हथियारों से मानव अधिकारों का उल्लंघन क्यों करते रहते हैं?''

अहमद सर ने कहा, ''आतंकवादी अपनी शर्तों, नीतियों व अपने विचारों से विश्व को चलाना चाहते हैं और वे इसके लिए हिंसा का मार्ग चुनते हैं, यह निदंनीय है। 1993 में वियना में मानव अधिकारों पर एक विश्व सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में 171 देशों के प्रतिनिधियों ने आतंकवादी गतिविधियों को मानव अधिकारों पर चोट स्वीकार किया। आज विश्व के देश आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने हेतु सक्रिय हैं।''

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए–

(1) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है—

(अ) 1993 (ब) 1992

(स) 1990 (द) 1997

(2) मध्यप्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया—

(अ) सितम्बर 1993 को (ब) सितम्बर 1995 को

(स) अक्टूबर 1996 को (द) नवम्बर 1993 को

2. लघु उत्तरीय प्रश्न–

(1) मानव अधिकारों के विषय में संयुक्त राष्ट्र की विश्वव्यापी घोषणा क्या है?

(2) मानव अधिकार समाज के लिए कितने उपयोगी हैं?

(3) मानव अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष किस वर्ष को मनाया गया?

(4) यदि सरकार मानव अधिकारों की रक्षा नहीं करे, तो उस पर निगरानी कौन करता है?

(5) आतंकवाद द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन कैसे होता है?

3. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

(1) मानव अधिकारों की सूची बनाइए, इन अधिकारों की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए कौन-सी परिषद् कार्य करती है?

(2) मानव अधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखिए।

परियोजना कार्य–

- निम्नलिखित वाक्यों को ड्राइंग शीट पर कक्षा में बच्चे प्रदर्शित करें। कुछ बच्चों से पोस्टर बनाने अथवा पत्र-पत्रिकाओं से इनसे संबंधित चित्रों आदि को काटकर एक पुस्तिका में चिपकाकर संग्रहित करने का कार्य करावें :—

  1. मानव अधिकार हमारे जन्म के साथ ही हमें प्राप्त हैं।
  2. दूसरों के अधिकारों की रक्षा और सम्मान हमारा कर्त्तव्य और दायित्व है।
  3. विश्व के समस्त बच्चों को जीने, शिक्षा प्राप्त करने, हिंसा और शोषण से बचाव एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।

- "बाल दिवस" पर बाल अधिकारों की चर्चा तथा "मानव अधिकार दिवस" पर विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे— नाटक, निबंध प्रतियोगिता, प्रश्न मंच आदि का आयोजन कराएँ।